HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5584/2026
CNR: RJHC020341402026 | URN: CRLMB / 9968U / 2026

Milkha Singh S/o Karnel Singh, Aged About 28 Years, R/o Bag Wali Dhani, Raishikh Bas, Tan Mubarik, Police Station Naouganwa, District Alwar At Present Lodged In The Central Jail, Alwar.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7435/2026
CNR: RJHC020447332026 | URN: CRLMB / 13539U / 2026

Gurpreet Singh S/o Beyant Singh, R/o Raisikh Baas Tan Mubarikpur, Police Station Nouganwa, District Alwar (Raj.) (At Present In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg & Mr. Naunit Hathila for Milkha Singh Mr. Surendra Singh Sunda for Gurpreet Singh
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Chitrash Saxena & Mr. Atul Sharma for Complainant

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

01/09/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह दो प्रार्थना–पत्र पुलिस

थाना–**नौगांवा जिला–अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **410/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **103 (1)** सपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता व धारा 8(2)/25 (1–बी) (सी) में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। परिवादी कुलदीप सिंह तथा आहत चरण सिंह, जो मृतका दीपोबाई का पति भी है, ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में कहीं पर भी प्रार्थी/अभियुक्त को मौके पर उपस्थित होना नहीं बताया है। सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यही अपराध प्रमाणित पाया गया है कि वह कट्टा जिससे गोली चलाने के कारण मृतका जीतो बाई की हत्या कारित की गई, वह कट्टा प्रार्थी/अभियुक्त ने घटना के एक दिन पहले ही सह–अभियुक्त बेअंत सिंह को उपलब्ध कराया था। उनका तर्क है कि अनुसंधान के उपरांत प्रार्थी–अभियुक्त मिल्खा सिंह के विरूद्ध केवल सहायता के द्वारा अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण किया जाना ही प्रमाणित हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त बेअंत सिंह और जंगीर सिंह से जो अनुसंधान किया गया है, उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उन्हें कट्टा उपलब्ध करवाया जाना नहीं कहा है। उनका तर्क है कि जो घटना कारित हुई है, वह वास्तविकता में पक्षकारों के बीच एक जमीन के विवाद से उत्पन्न हुई है तथा स्वीकृत रूप से इस जमीन पर तीस–चालीस वर्षों से अभियुक्त पक्ष का ही आधिपत्य चला आ रहा है। अभियुक्त पक्ष ने एस.डी.एम. कोर्ट से इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है, जो परिवादी कुलदीप सिंह, तथा साक्षीगण बूटा सिंह व चरण सिंह के कथनों में भी आया है। इस स्थगन आदेश के उपरांत परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष को रोककर उसके बारे में टोका–टोकी और पूछताछ की गई थी। उनका तर्क है कि साक्षीगण के कथनों से यही प्रकट हुआ है कि दोनों ही पक्षकारों के बीच लाठी–डण्डों से मारपीट की घटना कारित हुई थी, जो खुली लडाई (Free Fight) की श्रेणी में आती है। उनका तर्क है कि इसी घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी क्रॉस केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें परिवादी पक्ष के कुलवन्त सिंह, कुलदीप सिंह, सुरजीत कौर, चरण सिंह, अंग्रेज के विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत हुआ है। उनका तर्क है कि इस घटना में अभियुक्त पक्ष के लोगों के गंभीर उपहतियां कारित हुई है। उनका तर्क है कि अनुसंधान

के उपरांत जो निष्कर्ष अनुसंधानकर्ता ने निकाला है, उसके अनुसार ही परिवादी पक्ष आक्रामक था। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 2.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। मामले में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 12 व्यक्तियों के विरूद्ध घ ाटना कारित करने का अभियोग लगाया गया है, जिसमें से पांच व्यक्तियों के विरूद्ध ही आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी गुरप्रीत को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण की मृतका जीतोबाई के शरीर पर आग्नेयास्त्र की एक चोट कारित होना पाया गया है तथा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसी एक चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उनका तर्क है कि मृतका की उक्त चोट अन्य अभियुक्त बेअंत सिंह द्वारा कारित करना बताया गया है तथा इस चोट को कारित करने का आक्षेप प्रार्थी–अभियुक्त पर नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण में जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई–झगड़ा होना परिवादी पक्ष के गवाहों ने भी स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि उक्त साक्षीगण के कथनों तथा आरोप–पत्र के नतीजे से स्पष्ट है कि घटना में परिवादी पक्ष ही आक्रामक था। उनका तर्क है कि घटना में जो चार व्यक्ति क्रमशः अंग्रेज, चरण सिंह, सुरजीत कौर व कुलदीप सिंह आहत हुए हैं, इन चारों ही साक्षीगण ने अभियुक्त गुरप्रीत द्वारा उनके शरीर पर कोई चोट कारित करने का कथन नहीं किया है। उनका तर्क है कि आहत चरण सिंह, सुरजीत कौर और कुलवंत कौर के जो चोटें कारित होना बताया गया है, वह साधारण प्रकृति की है तथा उनके हाथ, कलाई आदि स्थानों पर आना पाया गया है तथा आहत अंग्रेज की उंगली पर अस्थिभंग की चोट आना पाया गया है। उनका तर्क है अभियुक्त के आधिपत्य से जो लाठी बरामद होना बताया गया है, उस पर कोई रक्त होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 30.11.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। वह एक 19 वर्षीय नवयुवक है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अभियुक्त पक्ष की ओर से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी पक्ष के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी, उसमें भी अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अब

प्रकरण में आगे कोई अनुसंधान नहीं किया जाना है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा परिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त मिल्खा सिंह द्वारा घटना के एक दिन पहले वह कट्टा, जिससे मारी गई गोली से मृतका जीतो बाई की मृत्यु होना बताया गया है, अन्य अभियुक्त बेअंत सिंह को उपलब्ध करवाया जाना साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है तथा यही निष्कर्ष अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने भी दिया है। उनका तर्क है कि साक्षी बूटा सिंह व अन्य साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह को मौके पर उपस्थित होना कहा है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी है कि प्रार्थी–अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की मौके पर उपस्थिति साक्षी बूटा सिंह ने अपने बयानों में बताई है। साक्षी बूटा सिंह ने अपने कथनों में यह भी कहा है कि अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के पास मौके पर लाठी थी और इस प्रकार वह अवैध समूह का सदस्य था तथा वह भी अपराध के लिए उत्तरदायी है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया :–

> Shoba Namdev Sonavane Vs. Samadhan Bajiroa Sonvane and Ors.
> 2026 SCC OnLine 291

उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त गुरप्रीत के आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त लाठी भी बरामद हुई है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी/अभियुक्त भी हत्या जैसे गंभीर अपराध का अभियुक्त है। अतः उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त मिल्खा सिंह के सम्बन्ध में परिवादी कुलदीप सिंह तथा आहत चरण सिंह के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों का अवलोकन करने पर प्रकट हो रहा है कि इन साक्षीगण ने अपने कथनों में कहीं पर भी प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह को मौके पर उपस्थित होना नहीं बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से यही प्रकट हुआ है प्रार्थी–अभियुक्त मिल्खा सिंह ने घटना के एक दिन पहले वह कट्टा, जिससे जीतो बाई की हत्या कारित की गई थी, अन्य अभियुक्त बेअंत सिंह

को उपलब्ध करवाया था, परन्तु अभियुक्त बेअंत सिंह और जंगीर सिंह से किए गये अनुसंधान में उन्होंने कहीं पर भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उन्हें कट्टा उपलब्ध करवाया जाना नहीं कहा है। उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार पक्षकारों के बीच एक जमीन, जिस पर अभियुक्त पक्ष का तीस–चालीस वर्षो से आधिपत्य चला आ रहा है तथा इस जमीन के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा था, के विवाद के परिणामस्वरूप यह घटना कारित हुई थी। यह भी प्रकट हुआ है कि दोनों पक्षकारों के बीच लाठी–डण्डों से मारपीट की घटना कारित हुई थी, जो खुली लडाई (Free Fight) की श्रेणी में आती है तथा इसी घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से क्रॉस केस भी दर्ज करवाया गया था, जिसमें परिवादी पक्ष के कुलवन्त सिंह, कुलदीप सिंह, सुरजीत कौर, चरण सिंह, अंग्रेज के विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत हुआ है। यह भी प्रकट हुआ है कि इस घटना में अभियुक्त पक्ष के जंगीर सिंह, मनजीत कौर, सुखदेव कौर व इम्बो बोई के उपहतियां कारित हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 2.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। मामले में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित है।

जहां तक प्रार्थी–अभियुक्त गुरप्रीत का प्रश्न है, प्रकरण की मृतका जीतोबाई की मृत्यु कट्टे से गोली लगने के परिणामस्वरूप होना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रकट हुआ है तथा उक्त चोट अन्य अभियुक्त बेअंत सिंह द्वारा कारित करना पाया गया है। इस चोट को कारित करने का आक्षेप प्रार्थी–अभियुक्त पर नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य जमीन को लेकर लड़ाई–झगड़ा होना परिवादी पक्ष के गवाहों ने स्वीकार किया है। घटना में जो चार व्यक्ति क्रमशः अंग्रेज, चरण सिंह, सुरजीत कौर व कुलदीप सिंह आहत हुए हैं, इन चारों ही साक्षीगण ने अभियुक्त गुरप्रीत द्वारा उनके शरीर पर कोई विशेष चोट कारित करने का कथन नहीं किया है। आहत चरण सिंह, सुरजीत कौर और कुलवंत कौर के जो चोटें कारित होना बताया गया है, वह साधारण प्रकृति की होना तथा उनके हाथ, कलाई आदि स्थानों पर आना पाया उनके चिकित्सकीय प्रतिवेदन से प्रकट हुआ है तथा आहत अंग्रेज की उंगली पर अस्थिभंग की चोट आना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से जो लाठी बरामद होना

बताया गया है, उस पर कोई रक्त होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 30.11.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। वह एक 19 वर्षीय नवयुवक है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने उचित प्रतीत होते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो–दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

21-22/JITENDRA SINGH PANWAR